

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 14-10-2026

विषय सूची

भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट का विनियम

विचाराधीन बंदियों के कारण भारतीय जेलों में अत्यधिक भीड़

शहरी आजीविका मिशन को जारी रखने के लिए राज्यों द्वारा तत्काल वित्तीय सहायता की माँग

भारत का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रम

संक्षिप्त समाचार

नवनियुक्त उप निर्वाचन आयुक्त

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

बिम्सटेक की दिल्ली घोषणा

दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर पर परिचर्चा

सोयाबीन की उन्नत किस्में—एनआरसी 268 और एनआरसी 270

‘नामेरी वन्य प्रकृति अध्ययनशाला’ पहल

दक्षिण कोरिया द्वारा स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण

भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट का विनियम

संदर्भ

- भारत में स्टारलिनक के प्रवेश की प्रस्तावित योजना ने उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के विनियमन से जुड़ी चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से, डिजिटल संपर्क का विस्तार करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

स्टारलिनक क्या है?

- स्टारलिनक, स्पेसएक्स द्वारा विकसित एक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा है। इसका उद्देश्य विश्वभर में उच्च गति और कम विलंबता वाली व्यापक पट्टी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है, विशेषकर उन दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक संचार अवसंरचना सीमित है या उपलब्ध नहीं है।
- यह निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में स्थित 10,000 से अधिक उपग्रहों के समूह का उपयोग करके इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करती है।
 - वर्तमान में इसे 165 से अधिक देशों में परिचालन की अनुमति प्राप्त है।

उपग्रह आधारित इंटरनेट कैसे कार्य करता है?

- **निम्न पृथ्वी कक्षा के उपग्रह:** ये उपग्रह पृथ्वी के निकट स्थित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं और उपयोगकर्ताओं तथा व्यापक संचार नेटवर्क के बीच इंटरनेट आँकड़ों का आदान-प्रदान करते हैं।
- **उपयोगकर्ता टर्मिनल:** उपयोगकर्ता के स्थान पर विशेष प्रकार के एंटीना लगाए जाते हैं, जो उपग्रहों से संपर्क स्थापित करके इंटरनेट सुविधा प्रदान करते हैं।
- **भू-आधारित प्रवेश केंद्र:** ये केंद्र उपग्रह नेटवर्क को स्थलीय इंटरनेट अवसंरचना से जोड़ते हैं। कुछ प्रणालियाँ उपग्रहों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने वाली कड़ियों का भी उपयोग करती हैं।

भारत में स्टारलिनक पर लागू नियामक ढाँचे

- **भारतीय तार अधिनियम, 1885:** भारतीय दूरसंचार विभाग से अत्यंत लघु छिद्रयुक्त टर्मिनल (वीसैट) लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। भारतीय तार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सरकार को संचार सेवाओं पर विशिष्ट नियंत्रण प्राप्त है।
 - धारा 7 सरकार को ऐसे लाइसेंसों के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान करती है।
- **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997:** इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना की गई।

- धारा 11 में ट्राई के कार्यों का उल्लेख है, जिनमें लाइसेंस की शर्तों, आवृत्ति स्पेक्ट्रम के प्रबंधन तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के संबंध में सिफारिशें देना शामिल है।
- **दूरसंचार अधिनियम, 2023:** यह अधिनियम उपग्रह आधारित संचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन को नियंत्रित करता है।
 - इसमें प्रशासनिक माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटित करने का प्रावधान है। साथ ही, स्टारलिनक को निर्धारित सुरक्षा मानकों और मूल्य निर्धारण संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
 - स्टारलिनक द्वारा कू-बैंड और का-बैंड आवृत्तियों का उपयोग दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम संबंधी नियमों के अधीन है। ये नियम अन्य संचार सेवाओं में व्यवधान रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं।
- **उपग्रह संचार नीति, 2000 तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe):** इनके अंतर्गत स्टारलिनक को उपग्रह परिचालन और कक्षीय स्थानों के उपयोग में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है, ताकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की परिसंपत्तियों के साथ टकराव न हो और राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा संरक्षण अधिनियम, 2023:** ये अधिनियम आँकड़ों के कूटलेखन, भंडारण और साइबर सुरक्षा से संबंधित दायित्व निर्धारित करते हैं।
 - राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण स्टारलिनक को गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के निर्देशों का पालन करना होगा। इनमें वास्तविक समय में संकेतों का पता लगाने तथा उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने जैसी आवश्यकताएँ शामिल हो सकती हैं।

स्टारलिनक ने अभी तक भारत में परिचालन क्यों शुरू नहीं किया है?

- **जटिल लाइसेंस प्रक्रिया:** भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत वीसैट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया कठोर है। इसमें दूरसंचार विभाग द्वारा विस्तृत तकनीकी एवं वित्तीय जाँच की जाती है और प्रायः विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।
- **स्पेक्ट्रम आवंटन और मूल्य निर्धारण:** दूरसंचार अधिनियम, 2023 उपग्रह स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन की अनुमति देता है, किंतु विशेषकर कू-बैंड और का-बैंड के मूल्य निर्धारण तथा आवंटन की शर्तों पर सरकार और ट्राई के बीच विचार-विमर्श जारी है।
- **सुरक्षा संबंधी स्वीकृति:** गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के नेतृत्व में व्यापक सुरक्षा जाँच की प्रक्रिया आवश्यक है।

विदेशी स्वामित्व और संभावित दुरुपयोग से संबंधित चिंताएँ इस प्रक्रिया को जटिल बनाती हैं।

- स्वीकृति देने से पहले संबंधित एजेंसियाँ आँकड़ों की सुरक्षा और सेवाओं के वैध उपयोग के संबंध में व्यापक आश्वासन चाहती हैं।
- **अंतरिक्ष अवसंरचना के साथ समन्वय:** भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना के साथ समन्वय तथा उपग्रह संचार नीति, 2000 का अनुपालन अतिरिक्त प्रक्रियागत आवश्यकताएँ उत्पन्न करते हैं।

भारत के लिए स्टारलिनक के लाभ

- **ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क:** यह उन क्षेत्रों में उच्च गति का इंटरनेट उपलब्ध करा सकता है जहाँ पारंपरिक प्रकाशीय तंतु आधारित नेटवर्क या मोबाइल टावर स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** इससे ग्रामीण शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को बढ़ावा मिल सकता है।
- **सामरिक महत्व:** यह आपदा के समय संचार, सैन्य संपर्क और सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार अवसंरचना को सुदृढ़ कर सकता है।
- **डिजिटल समावेशन:** यह डिजिटल भारत और भारतनेट की अवधारणाओं के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान रूप से डिजिटल संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराना है।

स्टारलिनक के भारत में प्रवेश से जुड़ी चिंताएँ

- **अधिक लागत:** उच्च पूँजीगत व्यय और नियामक दायित्वों के कारण भारत में स्टारलिनक की इंटरनेट सेवा की कीमत अपेक्षाकृत अधिक होने की आशंका है।
- **महँगे उपकरण:** स्टारलिनक की सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक उपकरण, जिनमें उपग्रह डिश (उपयोगकर्ता टर्मिनल), राउटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं, अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए महँगे हो सकते हैं।
- **लक्षित उपभोक्ताओं तक सीमित पहुँच:** प्रारंभिक चरण में यह सेवा वंचित क्षेत्रों के ग्रामीण समुदायों के बजाय संस्थानों, दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत व्यवसायों और अधिक आय वाले व्यक्तियों पर केंद्रित हो सकती है।
- **अवैध गतिविधियों में दुरुपयोग:** ऐसी आशंकाएँ हैं कि इन उपकरणों और सेवाओं का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएँ बढ़ी हैं।

निष्कर्ष

- उपग्रह आधारित इंटरनेट का उद्देश्य केवल विभिन्न स्थानों को जोड़ना नहीं, बल्कि लोगों को नए अवसरों से जोड़ना भी है।

- भारत में स्टारलिनक का प्रवेश वंचित क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुँचाकर डिजिटल विभाजन को कम करने में सहायक हो सकता है। हालाँकि, इसके लिए आवश्यक है कि तकनीकी प्रगति के साथ वहीनीयता, सुलभता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।

स्रोत: TH, TH

विचाराधीन बंदियों के कारण भारतीय जेलों में अत्यधिक भीड़

संदर्भ

- भारत में अधिकांश देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति जेल में बंद लोगों की संख्या कम है। भारत में प्रति एक लाख जनसंख्या पर लगभग 41 लोग जेल में बंद हैं, फिर भी वर्ष 2022 में यहाँ के तीन-चौथाई से अधिक बंदी विचाराधीन थे।

परिचय

- जेलों में बंद कुल बंदियों में विचाराधीन बंदियों की हिस्सेदारी के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई।
 - हालाँकि, सीमित पहुँच, जागरूकता की कमी और विधिक सहायता की असमान गुणवत्ता के कारण अनेक विचाराधीन बंदियों को अब भी समय पर सहायता नहीं मिल पाती है।
- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम जेल सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में भारतीय जेलों की अधिभोग दर घटकर एक दशक के निम्नतम स्तर 112.7% पर पहुँच गई।
- इसके बावजूद, मुख्यतः विचाराधीन बंदियों की अधिक संख्या के कारण भारतीय जेलों में अत्यधिक भीड़ की समस्या बनी हुई है।

प्रमुख बिंदु

- **जेलों में अत्यधिक भीड़:** वर्ष 2024 के अंत तक भारत में लगभग 1,333 जेलें थीं, जिनकी स्वीकृत क्षमता 4.53 लाख बंदियों की थी।
 - हालाँकि, जेलों में 5.11 लाख से अधिक बंदियों की उपस्थिति के कारण वहाँ अत्यधिक भीड़ बनी रही।
- **राज्यों में अधिभोग दर:** वर्ष 2024 में आधे से अधिक राज्यों की जेलों की अधिभोग दर 100% से अधिक थी। दिल्ली में देश की सर्वाधिक अधिभोग दर 194% दर्ज की गई।
 - किसी जेल की अधिभोग दर से आशय उसकी प्रति 100 बंदियों की स्वीकृत क्षमता की तुलना में वहाँ वास्तव में बंद

व्यक्तियों की संख्या से है। यदि यह दर 100% से अधिक हो, तो जेल को क्षमता से अधिक भरी हुई माना जाता है।

- **विचाराधीन बंदियों की अधिक संख्या:** जेलों में अत्यधिक भीड़ का प्रमुख कारण विचाराधीन बंदियों की असमान रूप से अधिक हिस्सेदारी है। वर्ष 2024 में कुल बंदियों में इनकी हिस्सेदारी लगभग 73% थी।
 - दिल्ली और बिहार में जेलों के 87% से अधिक बंदी विचाराधीन थे। इस प्रकार, इन दोनों राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विचाराधीन बंदियों की हिस्सेदारी सर्वाधिक थी।

भारत में जेलों में बढ़ती भीड़ के प्रमुख कारण

- **न्यायिक प्रक्रिया में विलंब:** आपराधिक मामलों के बड़ी संख्या में लंबित रहने के कारण विचाराधीन बंदियों को लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ता है।
- **अपराधों का अत्यधिक अपराधीकरण:** छोटे अपराधों के लिए भी कारावास का अत्यधिक उपयोग जेलों में भीड़ बढ़ाता है।
- **जमानत संबंधी चुनौतियाँ:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग धन की कमी के कारण जमानत प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। जागरूकता की कमी और अपर्याप्त विधिक सहायता भी उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाती है।
- **अपर्याप्त जेल अवसंरचना:** जेलों की क्षमता बढ़ाने की गति बंदियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप नहीं रही है।

प्रमुख चिंताएँ

- **मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा:** अत्यधिक भीड़ के कारण जेल प्रशासन बंदियों को स्वास्थ्य देखभाल, भोजन और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने में कठिनाई का सामना करता है।
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** इससे बंदियों के पर्याप्त जीवन स्तर तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर का अधिकार भी प्रभावित होता है।
- **सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ:** अत्यधिक भीड़ न केवल सुरक्षा संबंधी समस्याएँ उत्पन्न करती है, बल्कि आवश्यक सेवाओं पर भी गंभीर दबाव डालती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते हैं तथा बंदियों के सुधार और पुनर्वास कार्यक्रम बाधित होते हैं।
- **प्रशासनिक समस्याएँ:** अत्यधिक भीड़ वाली जेलों में आदतन गंभीर अपराध करने वाले बंदियों को कम गंभीर अपराधों के बंदियों से अलग रखना कठिन हो जाता है।
- **अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन:** जेलों में अत्यधिक भीड़ के कारण बंदियों को ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र के बंदियों के साथ व्यवहार के लिए मानक न्यूनतम नियमों के अनुरूप नहीं हैं। भारत इन नियमों के प्रति प्रतिबद्ध है।

जेल सुधारों से संबंधित समितियाँ

- **न्यायमूर्ति ए.एन. मुल्ला समिति:** औपचारिक रूप से अखिल भारतीय जेल सुधार समिति (1980-83) के रूप में जानी जाने वाली इस समिति ने विचाराधीन बंदियों को दोषसिद्ध बंदियों से अलग रखने तथा जेलों की परिस्थितियों, पोषण और स्वच्छता में सुधार की सिफारिश की।
- **न्यायमूर्ति अमिताव राय समिति:** इस समिति ने जेलों में भीड़ कम करने, त्वरित सुनवाई, विधिक सहायता में सुधार और जेल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग की सिफारिश की।
- **कृष्णा अय्यर समिति:** इस समिति ने महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए महिला बंदियों हेतु पृथक जेल सुविधाओं का समर्थन किया।

न्यायिक हस्तक्षेप

- **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य:** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है।
- **राजस्थान राज्य बनाम बलचंद:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह मूलभूत विधिक सिद्धांत स्थापित किया कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद”। इस सिद्धांत के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 को सुदृढ़ किया गया।

सरकारी पहल

- **आदर्श जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ अधिनियम, 2023:** गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में आदर्श जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ अधिनियम तैयार किया।
 - इस आदर्श अधिनियम में बंदियों के सुधार, पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।
 - इसमें संस्थागत देखभाल के अभिन्न अंग के रूप में ‘बंदियों के कल्याण कार्यक्रम’ तथा ‘रिहाई के बाद देखभाल एवं पुनर्वास सेवाओं’ का भी प्रावधान है।
- **विचाराधीन बंदी समीक्षा समितियाँ (UTRCs):** सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद प्रत्येक जिले में इन समितियों की स्थापना की गई है।
 - ये समितियाँ समय-समय पर उन विचाराधीन बंदियों के मामलों की समीक्षा करती हैं, जो जमानत या निजी मुचलके पर रिहाई के पात्र हैं। इससे लंबे समय तक हिरासत और जेलों में भीड़ कम करने में सहायता मिलती है।
- **ई-जेल परियोजना:** यह राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन आधारित परियोजना है।
 - इसके माध्यम से जेल अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाता है तथा जेलों को न्यायालयों, पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरणों से जोड़ा जाता है।

- इससे जमानत, पैरोल और रिहाई संबंधी आदेशों के शीघ्र निपटान में सहायता मिलती है तथा विलंब कम होता है।
- **खुली जेलें एवं खुले सुधारात्मक संस्थान:** इनके माध्यम से पात्र बंदियों को कम प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में अपनी सजा पूरी करने का अवसर दिया जाता है।
- इससे पारंपरिक जेलों पर दबाव कम होता है तथा बंदियों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- **विधिक सहायता एवं जमानत सुधार:** राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से निर्धन बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
 - निर्धन बंदियों को सहायता योजना के अंतर्गत उन बंदियों की सहायता की जाती है, जो जमानत के लिए मुचलका प्रस्तुत करने या जुर्माना भरने में असमर्थ हैं। इससे उनकी रिहाई संभव हो पाती है।
- **जेल अवसंरचना का विस्तार:** अनेक राज्यों ने नई सुधारात्मक सुविधाओं के निर्माण और वर्तमान जेलों के आधुनिकीकरण के लिए परियोजनाएँ शुरू की हैं।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** अभिलेखों के बेहतर रखरखाव, निगरानी और पारदर्शिता के लिए डिजिटल जेल प्रबंधन प्रणालियाँ लागू की जानी चाहिए।
 - न्यायालयों में सुनवाई की सुविधा बढ़ाने और विलंब कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए।
- **बंदियों का सामाजिक पुनः एकीकरण:** जेल प्रणालियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि रिहाई के बाद बंदियों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ सके।
- **विधिक सहायता को सुदृढ़ करना:** बंदियों, विशेषकर विचाराधीन बंदियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समय पर तथा प्रभावी विधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए विधिक सहायता तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **कारावास के विकल्पों को बढ़ावा:** छोटे अपराधों के मामलों में सामुदायिक सेवा, परिवीक्षा और कारावास से इतर दंड के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
 - जेलों में भीड़ कम करने और बंदियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों में खुली जेलों की व्यवस्था का विस्तार किया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

शहरी आजीविका मिशन को जारी रखने के लिए राज्यों द्वारा तत्काल वित्तीय सहायता की माँग

संदर्भ

- कम-से-कम पाँच राज्यों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि प्रमुख शहरी आजीविका मिशन के लिए वित्तीय सहायता को लेकर स्पष्टता के अभाव से शहरी गरीबों के सामाजिक संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

परिचय

- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) वर्ष 2014 से 2024 तक संचालित हुआ। इसके अंतर्गत 10 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया।
- आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय वर्ष 1997 से केंद्र प्रायोजित योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) का कार्यान्वयन कर रहा था। वर्ष 2013 से इसका पुनर्गठन करके इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में संचालित किया गया।
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने दिसंबर 2025 तक दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (DJAY-S) नामक एक प्रायोगिक परियोजना संचालित की।
 - इस प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य एक नई योजना के लिए आधार तैयार करना था, किंतु सूत्रों के अनुसार, अब इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रमुख विशेषताएँ

- **स्वयं सहायता समूहों का गठन:** शहरी गरीब महिलाओं को संगठित करके स्वयं सहायता समूह बनाए गए, ताकि सामूहिक प्रयासों और वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके।
- **वित्तीय सहायता:** प्रत्येक पात्र स्वयं सहायता समूह को ₹10,000 की चक्रीय निधि उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त, रियायती ऋण और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने की सुविधा प्रदान की गई।
- **कौशल विकास:** कौशल प्रशिक्षण, रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता तथा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया गया।
- **सामाजिक सशक्तीकरण:** सामुदायिक संस्थाओं को सुदृढ़ किया गया तथा संवेदनशील शहरी परिवारों की औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में सुधार किया गया।

परिवर्तन से उत्पन्न प्रमुख चिंताएँ

- **वित्तपोषण को लेकर अनिश्चितता:** तमिलनाडु, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सहित कई राज्यों ने बताया है कि उपलब्ध धनराशि समाप्त हो चुकी है, वित्तीय देनदारियाँ लंबित हैं अथवा कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
- **आजीविका गतिविधियों में व्यवधान:** वित्तपोषण में विलंब से स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियाँ, बैंकिंग सेवाओं से उनका जुड़ाव, ब्याज सब्सिडी और शहरी गरीब परिवारों की संस्थागत ऋण तक पहुँच प्रभावित हो सकती है।
- **सामुदायिक संस्थाओं के कमजोर होने का जोखिम:** वित्तीय और प्रशासनिक सहायता बंद होने से पिछले एक दशक में विकसित स्वयं सहायता समूहों तथा उनके महासंघों की क्षमता कमजोर पड़ सकती है।
- **कर्मचारियों की निरंतरता को लेकर अनिश्चितता:** राज्यों ने परिवर्तन की अवधि के दौरान वेतन और प्रशासनिक व्यय के वित्तपोषण पर स्पष्टता माँगी है। वहीं, केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को प्रारंभिक रूप से उपलब्ध संसाधनों से इन व्ययों की पूर्ति करनी चाहिए।
- **राज्यों में असमान कार्यान्वयन:** राज्यों की वित्तीय क्षमताओं में अंतर के कारण विभिन्न शहरी क्षेत्रों में आजीविका सहायता की निरंतरता और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

सरकार का पक्ष

- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रायोगिक परियोजना से प्राप्त अनुभवों का उपयोग एक नए शहरी आजीविका कार्यक्रम की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किया जा रहा है।
- वर्तमान स्वयं सहायता समूहों को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अटल नवीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन (AMRUT), पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना सहित अन्य सरकारी पहलों से जोड़ा जा रहा है।
- मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया है कि परिवर्तन की अवधि में लाभार्थियों को सहायता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रशासनिक संरचनाओं को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

- **वित्तपोषण की निरंतरता सुनिश्चित करना:** केंद्र सरकार को प्रस्तावित मिशन की समय-सीमा और वित्तपोषण संरचना स्पष्ट करनी चाहिए तथा पात्र एवं पूर्व-स्वीकृत लंबित देनदारियों का निपटान करना चाहिए।

- **संक्रमणकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना:** नई योजना के पूरी तरह क्रियाशील होने तक आवश्यक कर्मचारियों, स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों और लाभार्थियों को सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।
- **स्वयं सहायता समूहों के बीच समन्वय को संस्थागत रूप देना:** आजीविका के अवसरों में विविधता लाने के लिए शहरी स्वयं सहायता समूहों को नगरपालिका सेवाओं, अपशिष्ट प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए।
- **समावेशी शहरी आजीविका ढाँचा तैयार करना:** नई योजना में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के व्यापक गरीबी उन्मूलन दृष्टिकोण को दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी के अंतर्गत पहचाने गए संवेदनशील व्यावसायिक समूहों के लिए लक्षित सहायता के साथ समन्वित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से नई शहरी आजीविका व्यवस्था की ओर संक्रमण के दौरान पिछले एक दशक में विकसित सामुदायिक संस्थाओं और आजीविका के अवसरों का संरक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- समय पर वित्तपोषण, नीतिगत स्पष्टता और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं कि शहरी गरीब पहले से उपलब्ध सहायता प्रणालियों तक अपनी पहुँच न खो दें।

स्रोत: IE

भारत का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रम

संदर्भ

- हालिया रिपोर्टों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29,500 कंपनियों ने 72,000 परियोजनाओं को समर्थन देते हुए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत 40,794 करोड़ रुपये व्यय किए।
- महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली को संयुक्त रूप से 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) क्या है?

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय कंपनियों के उस दायित्व से है, जिसके अंतर्गत वे लाभ अर्जित करने के अतिरिक्त सामाजिक एवं पर्यावरणीय विकास में योगदान देती हैं।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, निर्धारित तीन मानदंडों में से किसी एक को पूरा करने वाली कंपनियों के लिए CSR पर व्यय करना अनिवार्य है। ये मानदंड हैं:
 - शुद्ध संपत्ति कम-से-कम 500 करोड़ रुपये।
 - वार्षिक कारोबार कम-से-कम 1,000 करोड़ रुपये।
 - शुद्ध लाभ कम-से-कम 5 करोड़ रुपये।
- ऐसी कंपनियों को विगत तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करना होता है।
- इन गतिविधियों का उल्लेख अधिनियम की अनुसूची VII में किया गया है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख उन्मूलन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और कौशल विकास शामिल हैं।
- भारत उन कुछ देशों में शामिल है, जहाँ कंपनियों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत अनिवार्य व्यय का प्रावधान है।

CSR का महत्त्व

- **विकास के लिए अतिरिक्त पूँजी:** CSR सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने में सहायता करता है, विशेषकर उन सामाजिक क्षेत्रों में जहाँ सरकारी वित्तीय संसाधन सीमित हैं। यह सरकारी व्यय का पूरक है, उसका विकल्प नहीं।
- **विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी:** यह लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ता है तथा कंपनियों के प्रति समाज के विश्वास और उनकी सामाजिक स्वीकार्यता को सुदृढ़ करता है।
- **सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप:** स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर किया गया व्यय सतत विकास लक्ष्यों 3, 4 और 8 की प्राप्ति में सहायता करता है।
- **नवाचार को प्रोत्साहन:** हजारों परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय समस्याओं के समाधान का परीक्षण किया जा सकता है। सफल समाधानों को सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकता है।
- **सहयोग की संभावनाएँ:** वर्तमान कानून कंपनियों को वित्तीय संसाधनों और प्रयासों को एकत्रित करने की अनुमति देता है। इससे जिला स्तर पर व्यापक परिवर्तन लाने में सहायता मिल सकती है।

प्रमुख चिंताएँ

- **क्षेत्रीय असमानता:** CSR निधि का आवंटन प्रायः कंपनियों के भौगोलिक स्थान पर निर्भर करता है, न कि विकास की वास्तविक आवश्यकता पर। परिणामस्वरूप, आकांक्षी जिले और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर्याप्त वित्तीय सहायता से वंचित रह जाते हैं।
- **परियोजनाओं का विखंडन:** छोटी और अलग-अलग संचालित परियोजनाएँ उपयोगी परिणाम तो देती हैं, लेकिन व्यापक व्यवस्थागत परिवर्तन लाने में प्रायः असफल रहती हैं।

- उदाहरण के लिए, यदि दस कंपनियाँ अलग-अलग उद्देश्यों वाली परियोजनाओं पर 10-10 करोड़ रुपये व्यय करती हैं, तो उनका सामूहिक प्रभाव एक ही उद्देश्य के लिए एकत्रित 100 करोड़ रुपये के सुव्यवस्थित निवेश से कम हो सकता है।
- **निवेश-आधारित जवाबदेही:** परिणामों को मापने वाले संकेतक कमजोर हैं और उनके लिए एक समान मानक उपलब्ध नहीं हैं। प्रतिवेदनों में इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि कितना धन व्यय हुआ, न कि उससे क्या परिवर्तन आया।
- **विशेषज्ञता और निवेश के बीच असंगति:** कंपनियाँ कई बार ऐसे क्षेत्रों में धन लगाती हैं, जो उनकी विशेषज्ञता से संबंधित नहीं होते। इससे उनके ज्ञान, अनुभव और संपर्क तंत्र का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।
- उदाहरण के लिए, खाद्य या कृषि क्षेत्र की कोई कंपनी सामान्य शिक्षा परियोजना की तुलना में किसानों की उत्पादकता बढ़ाने वाली परियोजना में अधिक योगदान दे सकती है।
- **केवल अनुपालन पर ध्यान:** अनिवार्य 2% व्यय की व्यवस्था कंपनियों को केवल कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे वास्तविक परिणामों की तुलना में निर्धारित लक्ष्य पूरा करने को अधिक महत्त्व मिलने लगता है।

आगे की राह

- **परिणाम-आधारित ढाँचा:** उदाहरण के लिए, कंपनियों को केवल निर्मित 50 कक्षाओं की संख्या बताने के बजाय विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में हुए सुधार की जानकारी देनी चाहिए। बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रभाव आकलन अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- **संयुक्त वित्तपोषण:** जिला परिवर्तन जैसे व्यापक उद्देश्यों के लिए समान विषयों और भौगोलिक क्षेत्रों पर केंद्रित कंपनियों के समूहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना:** प्रोत्साहनों या राष्ट्रीय CSR मंच के माध्यम से आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर अधिक वित्तीय संसाधन निर्देशित किए जाने चाहिए। इससे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली में निधि के संकेंद्रण को कम किया जा सकेगा।
- **कंपनियों की विशेषज्ञता के अनुरूप निवेश:** कंपनियों को वित्तीय योगदान के साथ अपने ज्ञान, संपर्क तंत्र और प्रबंधकीय क्षमताओं का भी उपयोग करना चाहिए।
- **सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय:** संसाधनों के दोहराव और अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए CSR गतिविधियों को प्रमुख सरकारी मिशनों तथा जिला विकास योजनाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
- **कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करना:** गैर-सरकारी संगठनों की निगरानी एवं मूल्यांकन संबंधी क्षमताओं को विकसित किया

जाना चाहिए। साथ ही, परियोजनाओं और उनके परिणामों से संबंधित आँकड़ों को पारदर्शी एवं सार्वजनिक बनाया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभवों और सफल कार्यप्रणालियों को साझा किया जा सके।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

नवनियुक्त उप निर्वाचन आयुक्त

संदर्भ

- 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित को भारत निर्वाचन आयोग में उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है।

उप निर्वाचन आयुक्त (DEC)

- परिचय:** उप निर्वाचन आयुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, जो देशभर में निर्वाचन संबंधी कार्यों के प्रबंधन और पर्यवेक्षण में भारत निर्वाचन आयोग की सहायता करता है।
 - आयोग की सहायता के लिए पाँच या छह उप निर्वाचन आयुक्त तथा महानिदेशक कार्यरत होते हैं, जो सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं।
- नियुक्ति:** सामान्यतः केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ सिविल सेवकों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है।
- प्रशासनिक स्थिति:** ये अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं और उसके निर्णयों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करते हैं।
- निर्वाचन आयुक्तों से अंतर:** मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जबकि उप निर्वाचन आयुक्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

- भारत निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
- इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं।
- प्रमुख कार्य:** आयोग मतदाता सूचियों की तैयारी का प्रबंधन करता है तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव संपन्न कराता है।
- संविधान के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद के कानून के प्रावधानों के अधीन की जाती है।

स्रोत: TH

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

संदर्भ

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना 33वाँ स्थापना दिवस मनाया।

परिचय

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित एक वैधानिक एवं स्वायत्त निकाय है।
- इसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत की गई थी।
 - यह अधिनियम पेरिस सिद्धांतों (1991) के अनुरूप बनाया गया था। इन सिद्धांतों में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थिति और कार्यप्रणाली के मानक निर्धारित किए गए हैं।
- मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- आयोग उन अधिकारों से संबंधित मामलों पर विचार करता है, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं अथवा अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों में निहित हैं और भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार शामिल हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना

- आयोग में एक अध्यक्ष तथा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निर्धारित अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इस अधिनियम में वर्ष 2019 में संशोधन किया गया था।
- नियुक्ति:** भारत के राष्ट्रपति छह सदस्यीय समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- कार्यकाल:** अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।
 - अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कार्य

- जाँच एवं अन्वेषण:** आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा लोक सेवकों द्वारा ऐसे उल्लंघनों को रोकने में की गई लापरवाही की जाँच स्वयं या याचिका प्राप्त होने पर करता है।
 - न्यायालय की अनुमति से मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है।
 - बंदियों की परिस्थितियों की निगरानी के लिए जेलों और सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य संस्थानों का दौरा करता है।

- **संवर्धन एवं जागरूकता:** शैक्षिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और अन्य जनसंपर्क पहलों के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है।
- **अनुसंधान एवं सिफारिशें:** संविधान के अंतर्गत मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध प्रावधानों की समीक्षा करता है और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय सुझाता है।
 - दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध मुआवजा देने अथवा अभियोजन चलाने की सिफारिश कर सकता है।
 - आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।
- **अन्य प्रमुख कार्य:** आयोग न्यायालयों या सरकारी कार्यालयों से सार्वजनिक अभिलेख और उनकी प्रतियाँ माँगवा सकता है।
 - यह केंद्र और राज्य सरकारों को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और संरक्षण गृहों के कामकाज की निगरानी करता है।
- **उद्देश्य:** सदस्य देशों की आर्थिक वृद्धि में सहायता करना।
 - सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।
 - विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- **बिम्स्टेक के सदस्य देश:** संस्थापक सदस्य: बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड।
- **वर्तमान सदस्य (7):** बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।
- **जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था:** बिम्स्टेक क्षेत्र में लगभग 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 22% है। इस क्षेत्र का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद लगभग 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है।
- **सचिवालय:** ढाका, बांग्लादेश।

स्रोत: AIR

बिम्स्टेक की दिल्ली घोषणा

संदर्भ

- भारत ने नई दिल्ली में प्रथम बार बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। इस बैठक का समापन दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ हुआ।

दिल्ली घोषणा

- घोषणा में आतंकवाद, जिसमें सीमापार आतंकवाद भी शामिल है, की निंदा की गई।
- आतंकवाद के वित्तपोषण, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और धन शोधन के विरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने का आह्वान किया गया।

बिम्स्टेक क्या है?

- **पूर्ण नाम:** बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC)।
- बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के तटीय और उससे सटे क्षेत्रों में स्थित सात सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- यह बंगाल की खाड़ी से लगे दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को एक साझा मंच पर लाता है।



स्रोत: TH

दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर पर परिचर्चा

संदर्भ

- दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर को लेकर एक बार पुनः परिचर्चा तीव्र हो गई है। निवेशक, वित्तीय बाजार और अर्थशास्त्री इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि यह कर पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है या बाधित।

दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर क्या है?

- यह किसी पूँजीगत परिसंपत्ति को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रखने के बाद बेचने पर प्राप्त लाभ पर लगाया जाने वाला कर है। सूचीबद्ध इक्विटी के लिए यह अवधि 12 महीने तथा संपत्ति और असूचीबद्ध शेयरों के लिए 24 महीने है।
- **वर्तमान कर व्यवस्था (बजट 2024):** सूचीबद्ध इक्विटी से प्राप्त दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ पर ₹1.25 लाख वार्षिक सीमा से अधिक की राशि पर 12.5% कर लगाया जाता है। पहले यह दर ₹1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% थी। अल्पकालिक पूँजीगत लाभ पर 20% कर लगाया जाता है।

- **मुद्रास्फीति समायोजन की समाप्ति:** संपत्ति और अन्य परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ पर मुद्रास्फीति समायोजन के बिना 12.5% की एकसमान दर से कर लगाया जाता है। 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई संपत्ति के मामले में निवासी व्यक्ति पुराने प्रावधान के अंतर्गत मुद्रास्फीति समायोजन सहित 20% कर की दर का विकल्प चुन सकते हैं।
- **इक्विटी पर कर का इतिहास:** वर्ष 2018 तक इक्विटी से प्राप्त दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर-मुक्त था। वर्ष 2018 में इस पर 10% कर लगाया गया, जबकि शेयरों के लेन-देन पर प्रतिभूति लेन-देन कर (STT) पहले से लगाया जा रहा था।

दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर में कमी या युक्तिसंगत बदलाव के पक्ष में तर्क

- **दोहरा कराधान:** पूँजीगत लाभ ऐसी कंपनियों के लाभ से उत्पन्न होता है, जिन पर पहले ही निगमित आयकर लगाया जा चुका होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिभूति लेन-देन कर भी लगाया जाता है। इस प्रकार निवेशकों पर कराधान की तीन परतों का भार पड़ता है।
- **दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित करना:** कर की ऊँची दर से कर कटौती के बाद प्राप्त प्रतिफल कम हो जाता है और लंबे समय तक इक्विटी में निवेश बनाए रखने की प्रेरणा कमजोर पड़ती है। यह स्थिति विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है, जब घरेलू बचत सोने और अचल संपत्ति से निकलकर वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर स्थानांतरित हो रही है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** सिंगापुर, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात में इक्विटी पर पूँजीगत लाभ कर नहीं लगाया जाता। इससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इन बाजारों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे भारत से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की निकासी बढ़ सकती है।

स्रोत: TH

सोयाबीन की उन्नत किस्में—एनआरसी 268 और एनआरसी 270

संदर्भ

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अंतर्गत इंदौर स्थित राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने सोयाबीन की उन्नत किस्मों एनआरसी 268 और एनआरसी 270 की उपज क्षमता का प्रदर्शन किया।

प्रमुख बिंदु

- दोनों किस्मों से लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हुई है। अनुकूल परिस्थितियों में इनकी उपज 22–25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुँचने की संभावना है।

- **एनआरसी 270:** इस किस्म के बीज आकार में बड़े और अधिक वजनी होते हैं, जिससे बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की संभावना रहती है।
- इन किस्मों को अनियमित वर्षा, शुष्क अवधि, कीटों और रोगों का बेहतर ढंग से सामना करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

भारत में सोयाबीन का उत्पादन

- सोयाबीन (ग्लाइसिन मैक्स) दलहनी कुल (फैबेसी) का पौधा है। यह खरीफ की एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, जिसकी खेती मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान की जाती है।
- मध्य प्रदेश भारत का प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य है, जिसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है।
- सोयाबीन गर्म जलवायु में अच्छी तरह उगता है और इसके लिए मृदा में पर्याप्त आर्द्रता आवश्यक होती है।
- सोयाबीन एक दलहनी फसल है, जिसकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध बनता है।
- सरकार सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी घोषित करती है, जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उत्पादकता और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों विकसित करती है।

स्रोत: PIB

‘नामेरी वन्य प्रकृति अध्ययनशाला’ पहल

संदर्भ

- असम के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने विद्यार्थियों को व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से प्रकृति से जोड़ने के उद्देश्य से नामेरी बाघ अभयारण्य में ‘नामेरी वन्य प्रकृति अध्ययनशाला’ पहल आरंभ की।

पहल के बारे में

- यह आवासीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत नामेरी बाघ अभयारण्य में दो और तीन दिवसीय क्षेत्रीय अध्ययन शिविर आयोजित किए जाते हैं।
- इसका उद्देश्य कक्षा 8 और उससे ऊपर के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा वन्यजीव संरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है।
- इस पहल के अंतर्गत पक्षी-दर्शन, जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र की समझ और वनवासी समुदायों की पारंपरिक प्रथाओं का अध्ययन जैसी गतिविधियाँ कराई जाती हैं।

नामेरी बाघ अभयारण्य के बारे में

- यह असम के सोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है।
- जिया-भराली नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है। अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को कामेंग नदी के नाम से जाना जाता है।
- सितंबर 2026 में नामेरी बाघ अभयारण्य को बाघ संरक्षण और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए संरक्षण आश्वस्तता एवं बाघ मानक (CA|TS) के अंतर्गत स्वीकृत दर्जा प्राप्त हुआ।
- CA|TS एक वैश्विक रूपरेखा है, जिसका उपयोग बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन और संरक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया जाता है।
- इसे वर्ष 2013 में जापान में आयोजित प्रथम एशियाई उद्यान कांग्रेस में आरंभ किया गया था।

स्रोत: TH

दक्षिण कोरिया द्वारा स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण

संदर्भ

- दक्षिण कोरिया ने अपने देश में विकसित पहले हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन (HGV) का सफल परीक्षण किया है। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव के बीच यह उसकी नई उच्च गति वाली आक्रमण क्षमता विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हाइपरसोनिक अस्त्र क्या हैं?

- हाइपरसोनिक अस्त्र ऐसी प्रणालियाँ हैं, जो ध्वनि की गति से कम-से-कम पाँच गुना अधिक गति अर्थात् मैक 5 या उससे अधिक गति से चलती हैं।
- इन्हें मुख्यतः दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:
 - ♦ **हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन (HGV):** रॉकेट प्रणोदक इन्हें अधिक ऊँचाई तक पहुँचाते हैं। इसके बाद ये अलग होकर हाइपरसोनिक गति से अपने लक्ष्य की ओर फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं और उड़ान के दौरान अपनी दिशा में बदलाव कर सकते हैं।
 - ♦ **हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें:** ये स्क्रैमजेट जैसे उच्च गति वाले वायु-श्वसन इंजनों से संचालित होती हैं। ये वायुमंडल के अंदर हाइपरसोनिक गति बनाए रख सकती हैं तथा कम ऊँचाई पर उड़ते हुए अपनी दिशा बदल सकती हैं।

क्या आप जानते हैं?

- भारत के हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - ♦ **हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहन (HSTDV):** इसने लगभग मैक 6 की गति से उड़ान का प्रदर्शन किया है।
 - ♦ **प्रस्तावित ब्रह्मोस-II:** इसे लगभग मैक 7 की गति प्राप्त करने के उद्देश्य से विकसित करने की योजना है।

स्रोत: TOI

